पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT)

स्रोत: द हिंदू

भारत सरकार ने गायक ज़ुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मृत्यु की जाँच में सहयोग सुनिश्चित करने के लिये सिंगापुर के साथ **पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLAT)** लागू की है।

- **पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (MLAT):** ये **द्विपक्षीय या बहुपक्षीय** समझौते हैं जो देशों को आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध, तस्करी और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे **आपराधिक मामलों में सहयोग** करने में सक्षम बनाते हैं।
  - MLAT जाँच, साक्ष्य साझा करने तथा अभियोजन के लिये एक **संरचित और विधिक रूप से बाध्यकारी ढाँचा** प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि क्षेत्राधिकार संबंधी कमियों के कारण अपराधी न्याय से बच न सकें।
- **महत्त्व:** MLAT अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पारस्परिकता और गति** को मज़बूत करते हैं।
- **भारत का दृष्टिकोण:** भारत **द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संधियों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या पारस्परिकता** के माध्यम से **पारस्परिक कानूनी सहायता (MLA)** प्रदान करता है।
  - भारत ने 42 देशों के साथ MLAT पर हस्ताक्षर किये हैं (वर्ष 2019 तक)। भारत में MLA अनुरोध **गृह मंत्रालय (MHA)** के माध्यम से भेजे जाते हैं, जो राजनयिक माध्यमों से आवश्यकता पड़ने पर विदेश मंत्रालय (MEA) के सहयोग से **केंद्रीय प्राधिकरण** के रूप में कार्य करता है।

पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 2000
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 2003
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1988 (वियना सम्मेलन)
- हेग कन्वेंशन
- सार्क कन्वेंशन
- राष्ट्रमंडल योजना (हरारे योजना)

और पढ़ें: **भारत और अंतर्राष्ट्रीय कानून: भाग-1**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mutual-legal-assistance-treaty-1